संख्या:25 /2020/787 /46-1-20-1000(09)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(समस्त सम्बन्धित जनपद)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 2020

विषयः- जिला योजना अन्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में **अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति)** के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यों हेतु मात्राकरण करते हुए आयोजनागत पक्ष में बजट प्राविधान के सापेक्ष जनपदवार/कार्यक्रमवार वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या-कै/797/सी./विकास/जिला योजना, दिनांक 09-06-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति) में प्राविधानित **धनराशि रू. 263.48 लाख (रूपये दो करोड़ तिरसठ लाख अड़तालिस हजार मात्र)** को, **संलग्नक** में यथा उल्लिखित जनपदवार/कार्यक्रमवार व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में यथा- नियम उसी सीमा तक धनराशि आहरित कर व्यय की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में बजट का प्रावधान/आवंटन किया गया है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नही किया जायेगा।

2. जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियममितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

3. प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-10में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

4. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित लाभार्थियों को सीधे उपलब्ध करायी जायेगी। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

6. आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

7. गन्ना आयुक्त, उ.प्र. एवं सम्बन्धित अधिकारी, गन्ना विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी. हेतु नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

8. योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

9. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित व्यय की जायगी आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

10. स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

11. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के **अनुदान संख्या-83** के अन्तर्गत लेखा शीर्ष **"2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-गन्ना विकास योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या: 6/ 2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब.प्र.2015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या:25 /2020/787(1)/46-1-20-1000(09)/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., लखनऊ।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
6. प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
7. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
8. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ.प्र., इन्दिरा भवन, लखनऊ।
9. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
10. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
11. समस्त सम्बन्धित कोषाधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

12. संबंधित जनपदों के प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
13. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.,।
14. नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2
15. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

संख्या:25 /2020/787(1)/46-1-20-1000(09)/2020, दिनांक 13 अगस्त, 2020 का संलग्नक।

(धनराशि रूपये में)

क्र०सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम	आधार बीज यातायात कार्यक्रम	मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम	पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम	बायोफर्टिलाईजर/ वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम	वानिकी कार्यक्रम हेतु	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	152000	390000	5115	21350	186000	171600	144600	5353	1076018
2	मुजफ्फरनगर	292000	686700	3450	35700	518000	346320	186000	10350	2078520
3	शामली	121250	306050	2025	16975	86000	129000	76800	3691	741791
योग मण्डल		**565250**	**1382750**	**10590**	**74025**	**790000**	**646920**	**407400**	**19394**	**3896329**
4	मेरठ	179800	511900	4410	25172	171500	55500	127800	0	1076082
5	बागपत	70000	83125	420	8960	35500	30750	36000	1323	266078
6	गाजियाबाद	27900	71450	915	3906	21000	20250	15600	0	161021
7	हापुड़	38500	107000	1305	5390	33500	37500	33000	0	256195
8	बुलन्दशहर	92400	230400	3180	12936	110000	103200	84000	3181	639297
योग मण्डल		**408600**	**1003875**	**10230**	**56364**	**371500**	**247200**	**296400**	**4504**	**2398673**
9	मुरादाबाद	88500	221500	2910	9702	117825	112700	100000	3266	656403
10	रामपुर	50000	130000	1725	7000	60000	52500	42000	1716	344941
11	अमरोहा	120500	307300	3975	16660	143500	132450	105600	4150	834135
12	बिजनौर	268150	802500	10590	37541	425500	393600	318600	0	2256481
13	सम्भल	73750	161275	2040	10325	72500	69900	54000	0	443790
योग मण्डल		**600900**	**1622575**	**21240**	**81228**	**819325**	**761150**	**620200**	**9132**	**4535750**
14	बरेली	154450	386425	4200	19572	145500	81900	81600	0	873647
15	बदायूं	20000	99750	525	2800	41500	16500	31800	1064	213939
16	पीलीभीत	144350	368850	4695	20195	166500	160050	123000	4938	992578
17	शाहजहांपुर	134800	344500	4380	18865	155500	149400	114600	0	922045
18	कासगंज	36960	50400	315	2205	33600	14700	17430	778	156388
19	मथुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	अलीगढ	17000	50000	435	1800	38000	12000	25400	0	144635
योग मण्डल		**507560**	**1299925**	**14550**	**65437**	**580600**	**434550**	**393830**	**6780**	**3303232**
21	लखीमपुर खीरी	521900	1333725	16965	73031	520000	499500	384000	0	3349121
22	सीतापुर	279750	717375	9090	39144	347500	232500	117000	8705	1751064
23	रायबरेली	5000	12850	150	700	10500	750	5000	182	35132
24	फरूखाबाद	16400	41925	525	2296	18500	18150	13800	564	112160
25	हरदोई	72800	184625	1245	10192	55000	52500	42000	2092	420454
26	कानपुर	2000	7875	0	280	6000	1950	3600		21705
योग मण्डल		**897850**	**2298375**	**27975**	**125643**	**957500**	**805350**	**565400**	**11543**	**5689636**
27	फैजाबाद	55000	137500	1800	7700	65000	60000	48000	1875	376875
28	सुल्तानपुर	16550	41800	465	2310	24000	14700	8800	544	109169
29	बाराबंकी	16890	45650	530	2364	18820	17244	13224	573	115295
30	जौनपुर	4800	12250	150	672	5500	5400	4200	165	33137
31	गाजीपुर	4800	9500	450	672	12000	6900	9000	217	43539
32	वाराणसी	5000	12000	180	700	5500	1800	3600	144	28924

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

33	अम्बेडकरनगर	33600	85900	1080	4704	38500	5400	28200	990	198374
योग मण्डल		**136640**	**344600**	**4655**	**19122**	**169320**	**111444**	**115024**	**4508**	**905313**
34	गोण्डा	123500	315000	3950	17290	138000	133000	102000	4160	836900
35	बलरामपुर	147300	367000	21375	20622	166000	160200	123600	5030	1011127
36	बहराईच	112500	289500	1590	7560	135000	65850	115800	3639	731439
योग मण्डल		**383300**	**971500**	**26915**	**45472**	**439000**	**359050**	**341400**	**12829**	**2579466**
37	गोरखपुर	7500	19000	270	1064	16000	7800	7200	0	58834
38	बस्ती	98000	238900	1830	13720	72500	110250	72000	3036	610236
39	महराजगंज	21500	51925	765	3010	41000	34350	31200	1014	184764
40	सिद्धार्थनगर	5000	3000	90	700	2250	1500	1200		13740
योग मण्डल		**132000**	**312825**	**2955**	**18494**	**131750**	**153900**	**111600**	**4050**	**867574**
41	कुशीनगर	138400	335000	2200	20000	550000	165000	428700	8197	1647497
42	देवरिया	13000	40000	390	1995	49000	19000	43200	500	167085
43	मऊ	10000	15000	150	350	6000	5000	3000	0	39500
44	बलिया	5500	13000	75	770	15000	3000	9600	0	46945
45	आजमगढ	47500	143500	1000	5000	41000	10000	23000	0	271000
योग मण्डल		**214400**	**546500**	**3815**	**28115**	**661000**	**202000**	**507500**	**8697**	**2172027**
सम्पूर्ण योग		**3846500**	**9782925**	**122925**	**513900**	**4919995**	**3721564**	**3358754**	**81437**	**26348000**

(रु.दो करोड़ तिरसठ लाख अड़तालीस हजार मात्र)

नोटः- जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा अयोध्या द्वारा आहरित कर उन जिलों को उपलब्ध करायी जायेगा।

(बच्चू लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है